पत्र सूचना शाखा

(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 27 जून, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

14 जनपदों के 28,041 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 'अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र' की स्थापना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में

वाटर ए0टी0एम0 योजनान्तर्गत बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल के 07 ए0ई0एस0/ जे0ई0 प्रभावित जनपदों तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों अर्थात कुल 14 जनपदों के 28,041 सरकारी प्राथमिक एवं सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25 लीटर भण्डारण क्षमता के एक–एक "अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र" की स्थापना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

"वाटर ए0टी0एम0 योजना" हेतु अनुमानित लागत रू0 7150.46 लाख की कार्ययोजना तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु ड्राफ्ट आर0एफ0पी0 डॉक्यूमेन्ट राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्तर पर तैयार किया गया है। योजना का क्रियान्वयन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाना प्रस्तावित है तथा योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्ति को सृजन के उपरान्त योजना से आच्छादित सरकारी प्राथमिक/सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। प्रस्तावित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रथम अनुपूरक मांग से वित्त विभाग की सहमति से धनराशि की व्यवस्था कराई जाएगी।

परिसम्पत्ति हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा पांच वर्ष तक की वारण्टी का प्रावधान कार्ययोजना में है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का दायित्व होगा कि आबद्ध फर्म से वारण्टी अवधि में सृजित सम्पत्ति का रखरखाव सुनिश्चित करायेंगे।

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 में संशोधन का निर्णय

1. उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 के नियम-14 (वैवाहिक प्रास्थिति) में संशोधन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की सहमति से आम जानकारी के लिये प्रकाशित की गयी अधिसूचना दिनांक 22.02.2017 के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

2. उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 के नियम-16 में (रिक्तियों का अवधारण) के अनुसार आरक्षित (क्षैतिज आरक्षण) की जाने वाली रिक्तियों की संख्या महिला एवं पुरूष के लिए पृथक-पृथक अवधारित कर अधिसूचित किये जाने के प्रावधान को उत्तर प्रदेश में क्षैतिज आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन की नीति के अनुसार ओवर आल (Overall) पद्धति के अनुसार महिला एवं पुरूष की भर्तियां एक साथ अधिसूचित किये जाने हेतु ''उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018 प्रख्यापित किये जाने का प्रस्ताव है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट में एकमुश्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में नई योजनाओं के लिए उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–94 में दिए गये प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु अनुदान संख्या–69 के लेखाशीर्षक–2230 के अन्तर्गत रू0 5226.00 लाख तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भटहट–गोरखपुर की स्थापना हेतु अनुदान संख्या–69 के लेखाशीर्षक–4250 के अन्तर्गत धनराशि रू0 100.00 लाख एवं प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र अलीगंज, लखनऊ में 250 सीटों की क्षमता का बहुमंजिला छात्रावास के निर्माण हेतु अनुदान संख्या–83 के लेखाशीषर्क–4250 के अन्तर्गत रू0 200.00 लाख की निर्गत स्वीकृति का विवरण मा0 मंत्रिपरिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विधेयक, 2015 में संशोधन का निर्णय

डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय एवं डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को आपस मे विलय करते हुए एक संयुक्त चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2014 को लिया गया था। डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय एवं डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को आपस मे विलय के पश्चात् ''डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साईन्सेस विधेयक, 2015'' के प्रख्यापन का निर्णय मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2015 में लिया गया। डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साईन्सेस विधेयक, 2015 उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के प्रथम सत्र 2016 से पारित होने के उपरान्त मा0 श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति हेतु प्रेषित किया गया।

प्रस्तावित विधेयक के सम्बन्ध में मा0 राज्यपाल द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद, 200 के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत अपने संदेश दिनांक 03 मई, 2016, में विधेयक के कतिपय प्राविधानों के विधायी औचित्य तथा उसमें समुचित संशोधन पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा यथोचित समय पर पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा की गयी है। मा0 राज्यपाल महोदय के संदेश में विधेयक के जिन प्रस्तरों के विधायी औचित्य तथा उसमे संशोधन किये जाने पर पुनर्विचार किये जाने की अपेक्षा की थी, में एस0जी0पी0जी0आई0 एक्ट, 1983 की व्यवस्था के अनुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साईन्सेस विधेयक, 2015 में संशोधन कर श्री राज्यपाल महोदय को कुलाध्यक्ष के रूप में सम्मिलित किये जाने का प्राविधान किया गया। प्रस्तावित संस्थान एक निगमित निकाय होगा और राज्य अधिनियम के रूप में स्थापित एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा।

पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु रोजगारपरक प्रशिक्षण योजना लागू करने के सम्बन्ध में

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि अनुदान संख्या-81 व 83 में प्राविधानित बजट से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ''अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण'' प्रदान किये जाने हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है।

3- पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा नवीन योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को बढ़ईगीरी, प्लम्बरिंग, सुरक्षा गार्ड,मेडिकल नर्सिंग, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, बिजली मोटर रिपेयरिंग, राज मिस्त्री, बिजली के छोटे मोटे सामान, बनाने एवं रिपेयरिंग का कार्य, बांसबेत, कालीन एवं दरी बुनाई, बोरिंग मिस्त्री, लेथ मशीन मैकेनिक, इलैक्ट्रीशियन, साड़ियों की कढ़ाई छपाई, टेलरिंग, पंचर रिपेयरिंग एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य ट्रेडों प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

5- योजनान्तर्गत प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थी नया उद्यम स्थापित एवं पूर्व संचालित उद्यम का विकास कर सकेंगे।

6- प्रशिक्षार्णियों को नवीन उद्यम स्थापना हेतु बैंको से आसानी ऋण प्राप्त हो सकेगा।

7- योजानान्तर्गत नये उद्यमों की स्थापना से नवीन रोजगार सृजित होंगे।

8- योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में पिछड़ा वर्ग के लगभग 1050 व्यक्तियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट में एकमुश्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत

उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–94 में यह व्यवस्था है कि किसी वित्तीय वर्ष में पैरा–94 के अन्तर्गत जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों का एक विवरण मा0 मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–47 एवं 83 के विभिन्न पूॅजीगत मदों में एकमुश्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय की नयी मदों/कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृतियॉ उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–94 के अंतर्गत निर्गत की गयी है।

बजट मैनुअल के प्रस्तर–94 में की गयी अपेक्षा के अनुसार विभाग के कार्यों/योजनाओं के संबंध में प्रस्तर–94 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों (कुल धनराशि रू0 5444.98 लाख) का विवरण मा0 मंत्रि परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

जनपद शामली में 400 के0वी0 उपकेन्द्र एवं तत्सम्बन्धी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में

- 400 के0वी0 उपकेन्द्र शामली एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 738.61 करोड का कार्य किया जायेगा।
- 400 के0वी0 उपकेन्द्र शामली एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण कार्य का वित्त पोषण संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं शासकीय अंशपूंजी द्वारा 70:30 के अनुपात में किया जायेगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की शेल कम्पनी मे0 सोनभद्र पावर जनरेशन कम्पनी लि0 को बन्द करने का प्रस्ताव अनुमोदित

- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की शेल कम्पनी मे0 सोनभद्र पावर जनरेशन कम्पनी लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 07.10.2013 को आहूत बैठक में मे0 सोनभद्र पावर जनरेशन कम्पनी लि0 को बन्द करने तथा कम्पनी द्वारा केस–2 बिडिंग गाइडलाइन्स के आधार पर तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र में प्रस्तावित 3X660 मेगावाट दोपाहा तापीय परियोजना को समाप्त करने के ई0टी0एफ0 की संस्तुति पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

- सोनभद्र पावर जनरेशन कम्पनी लि0 को यथावत बनाये रखने के लिए बड़ी मात्रा में मानव संसाधन के अतिरिक्त अन्य व्ययों को वहन करना होगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पत्र संख्या–743–नि0/यू0एम0पी0पी0/दोपाहा दिनांक 19.04.2018 के द्वारा यह सलाह दी है कि मेसर्स सोनभद्र पावर जनरेशन कम्पनी लि0 को बन्द कर दिया जाय, पूर्णतया से उचित है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों हेतु गांव सभा की सामान्य व सार्वजनकि उपयोग की भूमि के पुनर्ग्रहण मूल्य के सम्बन्ध में

1. उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों हेतु गांव सभा की सामान्य व सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुनर्ग्रहण मूल्य को शासनादेश संख्या–63/1761 /एक–1–2015–5–1(43) /2009–53 दि0 20.11.2015 से पूर्व की व्यवस्थानुसार सर्किल रेट या बाजारू दर के बराबर मूल्यांकन कर भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव से सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा।
3. शासनादेश जारी होने के पश्चात यथासमय औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों के लिए भूमि अधिग्रहण के समय इसका कियान्वयन किया जायेगा।
4. इससे राज्य का सुनियोजित औद्योगिक विकास होगा और विभिन्न उत्पादों के निर्माण/उत्पादन हेतु विभिन्न उद्योगों/कारखानों एवं औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा सकेगी।
5. विभिन्न उद्योगों/कारखानों एवं औद्योगिक पार्कों की स्थापना से प्रदेश में पूंजी निवेश में बढ़ोत्तरी होगी तथा नये रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध होंगे।
6. औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास से उत्पन्न औद्योगिक गतिविधियों से बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा।

‘गाइडलाइन्स फॉर सेलेक्शन ऑफ कन्सल्टेन्ट्स एण्ड डेवलपर्स फॉर पी0पी0पी0 प्रोजेक्ट्स इन उ0प्र0–2016’ में संशोधन के सम्बन्ध में

1- विभिन्न विभागों की पी0पी0पी0 परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु परामर्शी का चयन विकासकर्ता के चयन हेतु किया जाता है।

2- प्रदेश में पी0पी0पी0 परियोजनाओं के सुचारू एवं तीव्र कियान्वयन हेतु रू0 1000.00 करोड़ से कम एवं रू0 1000.00 करोड़ तक की समस्त प्रकार की परियोजनाओं के लिए परामर्शी के चयन हेतु उचित निविदा की शर्तें तैयार करने का अधिकार पिकप के स्थान पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये जाने के सम्बन्ध में ‘‘पी0पी0पी0 गाइडलाइन्स-2016’’ के विभिन्न प्रस्तरों में आंशिक संशोधन पर मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन निवेदित है।

3- राज्य सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा।

4- आदेश निर्गत होने की तिथि से अग्रिम संशोधन किये जाने तक।

5- प्रदेश में विभिन्न विभागों की पी0पी0पी0 परियोजनाओं का सुचारू एवं तीव्र क्रियान्वयन हो सकेगा।

6- प्रदेश में निजी पूँजी का निवेश एवं प्रदेश की प्रगति में सहायक होगा।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित

- प्रदेश में विधान सभा तथा विधान परिषद के माननीय सदस्यों की मॉग पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास के उद्देश्य से वर्ष 1997–98 में 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राथमिकता के अनुसार रू0 1.50 करोड़ के कार्यों के प्रस्ताव जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को दिये जाते हैं, जिन पर स्थापित प्रक्रियाओं तथा 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार क्रियान्वयन कराया जाता है।
- वर्ष 2004 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 1998 में अनुमन्य की गयी धनराशि रू0 75.00 लाख को बढ़ाकर रू0 1.00 करोड़ किया गया। वर्ष 2007 में उक्त धनराशि रू0 1.00 करोड़ को बढ़ाकर रू0 1.25 करोड़ किया गया तथा वर्ष 2012 में उक्त धनराशि रू0 1.25 करोड़ को बढ़ाकर रू0 1.50 करोड़ किया गया। इसी क्रम में बदलती आवश्यकताओं एवं इस अन्तराल में हुये परिवर्तनों तथा वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में माल एवं सेवा कर अधिनियम–2017 (जी0एस0टी0) लागू किये जाने तथा विगत 06 वर्षों में विकास कार्यों से सम्बन्धित सामग्री एवं मजदूरी में अत्यधिक वृद्धि एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों की मांग के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उ0प्र0 विधान सभा की दिनांक–27.03.2018 को हुई बैठक में विधायक निधि की धनराशि को रु0 1.50 करोड़ से बढ़ाकर रु0 2.00 करोड़ किये जाने तथा विधायक निधि को जी0एस0टी0 से मुक्त किये जाने अथवा जी0एस0टी0 की राशि की अलग से व्यवस्था किये जाने की घोषणा की गयी। जिसके दृष्टिगत विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को रू0 1.50 करोड़ से बढ़ाकर रू0 2.40 करोड़ (जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) किये जाने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रस्तर–1.2, 3.8 एवं प्रस्तर–6.3 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है, साथ ही जी0एस0टी0 की व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रस्तर–6.3 के आगे प्रस्तर–6.4 को जोड़ा जाना अपेक्षित है।
- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि के रू0 1.50 करोड़ से बढ़ाकर रू0 2.40 करोड़ (जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) किये जाने से विकास कार्यों हेतु उक्त मद में अधिक धनराशि उपलब्ध होगी, जिसका सीधा लाभ जन–सामान्य को प्राप्त होगा।

संत कबीर अकादमी हेतु मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन

- जनपद संत कबीर नगर में संत कबीर जी की समाधि स्थल मगहर में संत कबीर अकादमी की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

- संत कबीर अकादमी के निर्माण हेतु रु0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 13 जून, 2018 को निर्गत की जा चुकी है।

- संत कबीर अकादमी की स्थापनान्तर्गत मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के अन्तर्गत सोसाइटी का संचालन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 में वर्णित प्राविधानो के अधीन किया जायेगा, जिसमें 04 संस्थाएं होंगीः-
  1. शासी परिषद
  2. कार्यकारिणी परिषद
  3. वित्त समिति
  4. शोध विकास समिति

- संत कबीर के जीवन और दर्शन पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शोध, सर्वेक्षण, प्रकाशन एवं प्रदर्शन हेतु संत कबीर अकादमी का गठन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत एक संत कबीर पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी, जिसमे संत कबीर द्वारा लिखी गयी समस्त कृतियों , शोध संदर्भो , प्रकाशनों , पाण्डुलियों का संग्रह किया जायेगा।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ से सेवानिवृत्त मा0 मुख्य न्यायाधीश/मा0 न्यायमूर्तिगण एवं उनके स्पाउस को नित्य–प्रतिदिन के आकस्मिक कार्यों के लिये ली जाने वाली सेवाओं हेतु घरेलू भत्ते में वृद्धि का फैसला

मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/मा0 न्यायाधीशगण के दिन प्रतिदिन के आकस्मिक कार्यों के लिए ली जाने वाली सेवाओं हेतु प्रतिमाह घरेलू सेवक भत्ते एवं मिनिस्ट्रियल स्टाफ की सुविधा व मा0 सेवानिवृत्त मा0 मुख्य मुख्य न्यायाधीश/मा0 न्यायाधीशगण की मृत्योपरान्त उनके स्पाउस को जीवन–पर्यन्त भत्ता एवं मिनिस्ट्रियल स्टाफ की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु सेवक भत्ता दिए जाने का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

पूर्व में शासनादेश दिनांक 12–04–2012 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मा0 मुख्य न्यायाधीश एवं मा0 न्यायाधीशगण को क्रमशः 14,000 रुपए एवं 10,000 रुपए प्रतिमाह घरेलू सेवक भत्ता अनुमन्य कराया गया था। **इसको** बढ़ाकर क्रमशः 20,000 रुपए प्रतिमाह एवं 15,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इसी प्रकार शासनादेश दिनांक 07–01–2015 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के भूतपूर्व/सेवानिवृत्त मा0 मुख्य न्यायाधीश एवं मा0 न्यायमूर्तिगण के मृत्योपरान्त उनके स्पाउस को क्रमशः 6,000 रुपए एवं 4,000 रुपए प्रतिमाह अनुमन्य किया गया है। इसे बढ़ाकर क्रमशः 10,000 रुपए एवं 7,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने का फैसला लिया गया है।

मीरजापुर–विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को मीरजापुर–विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण घोषित करने का फैसला

- अधिसूचना दिनांक 27.08.1996 द्वारा मीरजापुर–विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था।
- गंगा नदी के तट पर स्थित मीरजापुर– विन्ध्याचल क्षेत्र ऐतिहासिक, सास्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर हैं।
- आवादी एवं शहर के विस्तार के दृष्टिगत नियोजित विकास हेतु मीरजापुर–विन्ध्याचल विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरण की जगह मीरजापुर–विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है।
- प्रस्तावित मीरजापुर–विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नगर परिषद क्षेत्र नगरीय एवं 68 राजस्व ग्राम सम्मिलित होगें।

‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना’ के ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु नवीन सिरे से परियोजना के विभिन्न पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी अंतिमीकृत आर0एफ0क्यू0—कम—आर0एफ0पी0 का अनुमोदन

1. ‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना’ के इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु नवीन सिरे से परियोजना के विभिन्न पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी अंतिमीकृत आर0एफ0क्यू0— कम—आर0एफ0पी0 (इ0पी0सी0 अनुबन्ध के आलेख एवं शिड्यूल्स सहित) पर अनुमोदन के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि—परिषद का अनुमोदन निवेदित है।

2. परियोजना के निर्माणकर्ताओं के चयन के उपरान्त परियोजना क्रियान्वयन हेतु 36 माह का समय निर्धारित किया गया है।

3. इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश की पूर्वी सीमा का प्रदेश की राजधानी होते हुए आगरा—लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी तक त्वरित गति की सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।

4. एक्सप्रेसवे के निर्माणोरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

5. 06—लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे होने के कारण इस एक्सप्रेसवे से ईंधन की महत्वपूर्ण बचत तथा समय की बचत के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण भी सम्भव हो सकेगा।

6. परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

7. प्रस्तावित एक्सप्रेसवे आच्छादित क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादक इकाईयों, विकास केन्द्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को प्रदेश की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने हेतु एक औद्योगिक कॉरीडोर के रूप में सहायक होगा।

8. प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हैण्डलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण गृह, मंडी तथा दुग्ध आधारित उद्योगों आदि की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा।

9. एक्सप्रेसवे के निकट इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना हेतु भी अवसर उपलब्ध होंगे।

10. एक्सप्रेसवे के निर्माण से परियोजना आच्छादित क्षेत्रों के पर्यटन विकास को बल मिलेगा एवं विकास से वंचित प्रदेश के इन पूर्वी क्षेत्रों में सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास सम्भव हो सकेगा।

11. प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजना में जनपद सुल्तानपुर के समीप एक 'एयरस्ट्रिप' का भी निर्माण किया जायेगा जिससे आपातकालीन स्थिति मे भारतीय वायुसेना के विमान उसका प्रयोग कर सकेंगें।

प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लोगों को उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कराकर प्रभावी रूप से लागू कराए जाने का फैसला

- प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है, कि लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी संचालित योजनाओं के अन्तर्गत, जो पात्र व्यक्ति अभी भी लाभ प्राप्त कर पाने में वंचित रह गए हैं, ऐसे पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें शीर्ष प्राथमिकता पर लाभान्वित कराया जाए।
- शासन की वर्तमान में प्रचलित विकास, कल्याणकारी एवं लाभार्थीपरक योजनाओं में छूटे हुये पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन करने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।
- उक्त के अन्तर्गत निम्न योजनाओं का सर्वेक्षण कराया जाएगा :–
  पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को पेंशन वितरण, वृद्धावस्था/किसान पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, अन्त्योदय राशन कार्ड, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना– शहरी व राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएं सम्मिलित हैं।
- उक्त सर्वेक्षण कार्य मे लगभग तीन माह का समय लगने की सम्भावना है।
- सर्वेक्षण कार्यों के अनुश्रवण/पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिलास्तरीय समिति गठित की जाएगी।
- सर्वेक्षण कार्य पर होने वाले व्यय का वहन जनपद स्तर पर लाभार्थीपरक संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं में उपलब्ध धनराशि से यथावश्यक व्यवस्थित किया जाएगा तथा यथावश्यकता संबंधित विभागों द्वारा यथासमय बजट आवंटन कराया जाएगा।

‘उ0प्र0 लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016’ में संशोधन के सम्बन्ध में

प्रदेश के ऐसे राजनैतिक बन्दी, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक २५-०६-१९७५ से दिनांक २१-०३-१९७७ तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया, एवं जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप आपातकाल के विरोध में मीसा०/डी०आई०आर० व अन्य धाराओं के अधीन कारागार में निरूद्ध रहे हो, को सम्मान राशि; एक सहचर सहित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क परिवहन सुविधा; एवं राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये ''उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, २०१६'' अधिसूचित किया गया, जो दिनांक २२-०३-२०१६ से प्रभावी है।

२- वर्तमान में प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों एवं दिनांक २२-०३-२०१६ के पश्चात् मृत लोकतंत्र सेनानियों की पत्नी या पति (यथास्थिति), को रू०-१५००० प्रतिमाह सम्मान राशि व सुविधायें प्राप्त हो रही हैं।

३- अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि २२-०३-२०१६ से पूर्व जिन लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु हुई है, की पत्नी या पति (यथास्थिति), को अधिनियम के अनुसार अनुमन्य सम्मान राशि और सुविधायें प्राप्त नही हो पा रही हैं ।

४- ऐसे लोकतंत्र सेनानी, जिनकी मृत्यु अधिनियम, २०१६ के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक २२-०३-२०१६ से पूर्व हुई है, की पत्नी या पति (यथास्थिति), को सम्मान राशि और सुविधायें दिये जाने हेतु ''उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, २०१६'' की धारा-६(१) में संशोधन किया जा रहा है।

PN-CM-Cabinet Decision-27 June, 2018